निविदा की शर्ते हेतु मार्गदर्शित प्रारूप (Draft)

विषयसूची

खंड सं	विवरण	पेज
खंड –I	ई–निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)	पेज
खंड –II	निविदा दाता के निर्देश (आईटीबी) ए. महत्वपूर्ण तिथियां/सामान्य जानकारी बी. निविदा दस्तावेज सी. निविदा खोलना और उसका मूल्यांकन डी. अनुबंध प्रदान करना ई. अन्य नियम और शर्तें	
	अनुलग्रक 1 से 7	

खंड–।

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

मध्य प्रदेश शासन

कार्यालय सामाजिक वानिकी वृत्त इन्दौर, म.प्र.

ई निविदा आमंत्रण सूचना संख्या –914––––/ई–निविदा/2025–26 दिनांक 08/05/2025

1. वनमण्डलाधिकारी सामाजिक वानिकी वृत्त इन्दौर, म.प्र. द्वारा भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित –2022) के अंतर्गत निम्नलिखित ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

कमांक	सामग्री का विवरण			सत्यांकार निधि	निविदा दस्तावेज का मूल्य
				20100	500
1.00	पॉलिथीन बेग एवं पॉलिथीन शीट सामग्री	इकाई	अनुमानित मात्रा		
1.01	GUSSETED PERFORATED POLYTHENE BAGS CONFIRMING TO IS 2508 (AS PER SPECIFICATION) SIZE -15×25 CENTIMETER 250 GUAGE BLACK	प्रति किलोग्राम	5000.00 किलोग्राम		
1.02	GUSSETED PERFORATED POLYTHENE BAGS CONFIRMING TO IS 2508 (AS PER SPECIFICATION) SIZE -20×30 CENTIMETER 400 GUAGE BLACK	प्रति किलोग्राम	1.00 किलोग्राम		
1.03	LDPE SHEET BLACK COMPOUND/NATURAL COMPOUND CONFIRMING TO IS 2508/1984 (WITH UPTO DATE AMENDMENT) VERGIN QUALITY HEAVY DUTY GRADE 030, BLACK Size- 1.25 meter ×10.25 meter, 500 Guage	प्रति किलोग्राम	100 किलोग्राम		

- निविदा दस्तावेजों से संबंधित सभी विवरण ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निःशुल्क देखे और डाउनलोड किए जा सकते हैं।
- इच्छुक निविदाकार क्रेडिट/डेबिट/कैश कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पोर्टल शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के बाद निविदा दस्तावेज को ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दिनांक 09.05.2025 शाम 04 बजे से दिनांक 28.05.2025 शाम 04 बजे तक केवल ऑनलाइन खरीद सकते हैं।
- ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर महत्वपूर्ण तिथियों के रूप में उल्लिखित निविदा प्रक्रिया तिथियां लागू होंगी।
- निविदा पूर्व बैठक दिनांक 21.05.2025 को समय दोपहर 01 से शाम 04 बजे के मध्य कार्यालय सामाजिक वानिकी वृत्त इन्दौर में आयोजित की जाएगी, जिसमें इच्छुक निविदाकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्वयं उपस्थित होकर या वीडियो कॉन्फ्रेंस (व्हाट्सएप वीडियो कान्फ्रेंस हेतु मोबाईल नंबर–9424796551/9424957967) के माध्यम से भाग लिया जा सकता है। निविदा पूर्व बैठक में केवल वे ही भाग लेने के हकदार होगें, जिन्होने ई–टेंडर फॉर्म खरीदे है।
- ई–निविदा आमंत्रण सूचना में शुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि कोई हो, केवल पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा, समाचार पत्रों में नहीं।
- ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल :–

https://www.mptenders.gov.in

वनमण्डलाधिकारी
सामाजिक वानिकी वृत्त इन्दौर

खंड–।।

निविदाकारों के लिए निर्देश (आईटीबी)

अ–महत्वपूर्ण तिथियां/सामान्य जानकारी

क्रमांक	जानकारी	विवरण
1.	संक्षिप्त विवरण	सामाजिक वानिकी वृत्त इन्दौर में वित्तीय वर्ष 2025–26 में पॉलिथीन बेग एवं पॉलिथीन शीट सामग्री की आपूर्ति हेतु ई–निविदा
2.	ई–निविदा आमंत्रण सूचना संख्या	
3.	निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज की लागत	रू. 500/– प्रोसेसिंग शुल्क (पोर्टल द्वारा स्वचालित रूप से निर्धारित)
4.	सत्यांकार निधि	रू 20100/–
5.	निविदा प्रस्ताव की वैधता	31 मार्च 2026
6.	निष्पादन सुरक्षा	नियमानुसार/–
7.	अनुमानित निविदा मूल्य	670000/–
8.	निविदा पूर्व बैठक की तिथि और समय	दिनांक 21.05.2025 समय 01:00:00 P.M.
9.	निविदा जमा करने की प्रांरभ तिथि	दिनांक 09.05.2025 समय 04:00:00 P.M.
10.	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 28.05.2025 समय 04:00:00 P.M.
11.	प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	दिनांक 30.05.2025 समय 04:00:00 P.M.
12.	प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	(पोर्टल पर शेड्यूल देखें)
13.	जमा करने का प्रकार	आनलाईन जमा https://www.mptenders.gov.in/पर करें

1. निविदा की स्वीकृत दरों की वैधता सफल निविदाकार और वनमण्डलाधिकारी, सामाजिक वानिकी वृत्त इन्दौर के बीच आपसी सहमति के अधीन 90 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है।

2. निविदा में उल्लेखित की गई वस्तुओं की संभावित मात्रा सफल निविदाकार और वनमण्डलाधिकारी, सामाजिक वानिकी वृत्त इन्दौर के बीच आपसी सहमति के अधीन बढ़ाई जा सकती है।

3. वनमण्डलाधिकारी, सामाजिक वानिकी वृत्त इन्दौर (निविदाकर्ता) किसी भी समय और बिना कोई कारण बताए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है। निविदाकर्ता कोई भी स्पष्ट या निहित प्रतिबद्‌ता नहीं करता है कि इस पक्रिया के परिणाम स्वरूप किसी के साथ कोई व्यापारिक लेनदेन होगा। यह प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर0एफ0पी0) निविदाकर्ता द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं है। इस प्रक्रिया में निविदाकर्ता, निविदाकार की भागीदारी के परिणामस्वसरूप, निविदाकार से और जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकता है। हालाँकि, सामाजिक वानिकी वृत्त इन्दौर (निविदाकर्ता) किसी भी समय बिना कोई कारण बताए इस प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है।

4. प्रति निविदाकार एक निविदाः

4.1 निविदाकार एक व्यक्तिगत इकाई या संयुक्त उद्यम हो सकता है। संयुक्त उद्यम की आवश्यकता अनुलग्रक 6 में दी गई है।

4.2 कोई भी निविदाकार संयुक्त रूप से या अलग–अलग एक से अधिक निविदाएं प्रस्तुत करने का हकदार नहीं होगा। यदि वह ऐसा करता है, तो निविदाकार द्वारा भाग ली गई सभी निविदायें अयोग्य मानी जाएँगी।

5. निविदाकार को अपनी निविदा तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुड़े सभी खर्चे वहन करना होगा, और इस के लिए सरकार पर कोई भी दावा नहीं किया जाएगा।

6. निविदाकार को सलाह दी जाती है कि वह कार्य/आपूर्ति स्थल और उसके आस–पास का दौरा करें और निरीक्षण करें तथा निविदा तैयार करने और अनुबंध में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी अपनी जिम्मेदारी पर प्राप्त करें। इस संबंध में सभी खर्चे निविदाकार को वहन करना होगा ।

(ब) निविदा दस्तावेज

7. निविदाकारों को अपनी निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगेः–

i) जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र

ii) पैन कार्ड

iii) पिछले 3 वित्तीय वर्षों के आयकर रिटर्न

iv) 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर पूरा अनुलग्रक–1

v) पूरा अनुलग्रक–2

vi) पूरा अनुलग्रक–3

vii) सीए प्रमाणित टर्नओवर प्रमाणपत्र

viii) दुकानें और प्रतिष्ठान पंजीकरण

ix) 'एमएसई प्रमाणपत्र' यदि ईएमडी छुट मांगी गई है

x) 'स्टार्टअप इंडिया प्रमाणपत्र' यदि वार्षिक औसत टर्नओवर या/और पिछले अनुभव से छूट मांगी गई है (अनुलग्रक 4–खंड (i) और (ii))

8. निविदाकार से निविदा दस्तावेज के सभी निर्देशों और शर्तों की सावधानीपूर्वक जांच करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा न करने पर निविदाकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

9. निविदा पूर्व बैठक (जहां लागू हो)

जहां भी निविदा दस्तावेज में निविदा पूर्व बैठक का प्रावधान हैः

9.1 ई–निविदा आमंत्रण सूचना में स्थान, तिथि और समय का उल्लेख किया जाएगा। निविदा पूर्व बैठक के कार्यक्रम में कोई भी बदलाव केवल वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा, और निविदाकारों को अलग से सूचित नहीं किया जाएगा।

9.2 कोई भी संभावित निविदाकार निविदा पूर्व बैठक से पहले या उसके दौरान लिखित रूप में अपने प्रश्न उठा सकता है अथवा स्पष्टीकरण मांग सकता है। ऐसी बैठक का उद्देश्य मुद्दों को स्पष्ट करना और उस चरण में उठाए जाने वाले किसी भी मामले पर सवालों के जवाब देना है। सामाजिक वानिकी वृत्त इन्दौर (निविदाकर्ता) अपने विकल्प पर ऐसे स्पष्टीकरण दे सकता है जो उसे आवश्यक लगे।

9.3 निविदा पूर्व बैठक का कार्य विवरण जिसमें उठाए गए प्रश्नों का सार और दिए गए उत्तर तथा बैठक के बाद तैयार किए गए किसी भी उत्तर को शामिल किया जाएगा, वेबसाइट पर प्रस्तुत किया जाएगा।

9.4 निविदा पूर्व बैठक के बाद यदि सामाजिक वानिकी वृत्त इन्दौर (निविदाकर्ता) निविदा दस्तावेज में संशोधन करना आवश्यक समझता है, तो यह ऑनलाइन ई–निविदा आमंत्रण सूचना में संशोधन जारी करके किया जाएगा।

10. सत्यांकार निधि (ईएमडी)

10.1 सत्यांकार निधि की गणना म.प्र प्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित–2022) के नियम 14 के अनुरूप की जानी है।

10.2 सत्यांकार निधि, निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज का मूल्य और प्रसंस्करण शुल्क ई–खरीद पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किया जाएगा। ऑफलाइन जमा करना मान्य नहीं होगा (उपयुक्त नियमों के खंड 14.1 के अनुसार)

10.3 सफल सत्यांकार निधि जमा करने की रसीद की स्कैन की गई प्रति निविदा के साथ शामिल की जानी चाहिए।

10.4 असफल निविदाकारों की सत्यांकार निधि यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी। उपर्युक्त नियमों के खंड 14.2 के अनुसार)

10.5 सत्यांकार निधि जब्त की जा सकती है:

10.5.1 यदि निविदाकार, निविदा वैधता अवधि या इसकी विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, के दौरान अपनी निविदा वापस ले लेता है या उद्धृत मूल्य में वृद्धि करता है;

या

निविदा प्रक्रिया के दौरान, यदि निविदाकार जानबूझकर ऐसा कोई कार्य करता है, जिससे निविदा के मूल्यांकन और निविदा को अंतिम रूप देने की प्रकिय्रा में जोखिम या अनावश्यक रूप से देरी हो,

या

सफल निविदाकार के मामले में, यदि निविदाकार, निविदाकर्ता द्वारा कार्य आदेश जारी करने के 15 दिनों के भीतर निष्पादन सुरक्षा राशि जमा करने में विफल रहता है,

या

निविदा प्रकिया के दौरान यदि निविदा में कोई जानकारी गलत/हेरफेर/छिपी हुई पाई जाती है।

10.6 सत्यांकार निधि जब्त करने और निविदा को अस्वीकार करने के संबंध में निविदाकर्ता का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी परिस्थिति में उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

11. संपूर्ण निविदा प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से तीन–कवर प्रणाली में ऑनलाइन होगी। इस निविदा सूचना के संबंध में सभी अधिसूचनाएं और विस्तृत नियम एवं शर्तें वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रकाशित की जाएंगी।

12. निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने और निविदाओं की ऑनलाइन प्रस्तुत करने तथा निविदा खोलने की प्रक्रिया के लिए दिशा–निर्देश पोर्टल में डाउनलोड किए जा सकते हैं।

13. पूर्व–योग्यता मापदंड अनुलग्रक 4 में दिए गए हैं। निविदाकारों को अपने पूर्व–योग्यता, तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों पर आवश्यक जानकारी केवल संलग्र प्रारूप में प्रस्तुत करनी होगी। प्रारूप में कोई भी विचलन निविदा को अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी बना सकता है। पूर्व योग्यता या तकनीकी लिफाफे में निविदा की वाणिज्यिक जानकारी का खुलासा निविदा को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार होगा।

14. तकनीकी निविदा पोर्टल पर ऑनलाइन खोली जाएंगी।

15. वाणिज्यिक निविदा के अलावा निविदा के किसी भी भाग में निविदा की कीमतों का उल्लेख नहीं होना चाहिए।

16. निविदाकार को वाणिज्यिक निविदा ऑनलाइन अपलोड करनी चाहिए और पोर्टल पर दिए गए बिल की मात्रा (बीओक्यू) के अनुसार अपलोड करनी चाहिए।

17. निविदा मूल्य में लोडिंग, परिवहन, अनलोडिंग और स्टैकिंग (यदि आवश्यक हो) में शामिल लागत शामिल होगी। निविदाकार वन संरक्षक द्वारा निर्देशित किसी भी स्थान पर सामग्री परिवहन के लिए उत्तरदायी होंगे, जो कि सामाजिक वानिकी वृत्त इन्दौर की भौगोलिक सीमा तक होगा। निविदा मूल्य में जी.एस.टी, अन्य सभी कर और शुल्क शामिल होंगे और यह भारतीय रूपये में होगा।

18. सभी संभावित निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे सामाजिक वानिकी वृत्त इन्दौर के अंतर्गत आने वाली सभी रोपणियों के क्षेत्र का दौरा करें और कार्य स्थितियों से खुद को परिचित करें। इस संबंध में एक प्रमाण पत्र (अनुलग्रक 3) निविदाकार द्वारा भरा जाना चाहिए। पूरा प्रमाण पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।

19. निविदाकार द्वारा अनुलग्रक 1 में उल्लेखित प्रारूप के अनुसार एक स्व–घोषणा – 'काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र' निविदा दस्तावेजों के साथ रू. 100/– के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(स) निविदा खोलना और उसका मूल्यांकन

20. निविदाकर्ता किसी भी या सभी निविदाओं को परियोजना के सर्वोत्तम हित में समझे जाने वाले विचारों के आधार पर बिना किसी कारण बताए, स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

21. निविदाकर्ता, प्राप्त तकनीकी और वाणिज्यिक निविदाओं की जांच और मूल्यांकन करने के लिए एक निविदा मूल्यांकन समिति (IEC) नियुक्त करेगा। निविदा मूल्यांकन समिति, निविदाओं की जांच करके यह निर्धारित करेगी कि वे पूर्ण एवं उत्तरदायी हैं और निविदा प्रारूप RFP आवश्यकताओं के अनुरूप है या नहीं। निविदाकर्ता, निविदा में किसी भी अनौपचारिकता या गैर–अनुरूपता को अनदेखा कर सकता है जो निविदाकर्ता के अनुसार किसी भौतिक विचलन का कारण नहीं बनता है।

[गैर–भौतिक विचलन छोटी–मोटी त्रुटियों या चूक को संदर्भित करता है जो निविदा की मुख्य आवश्यकताओं या मूल्यांकन प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित नहीं करती हैं, जैसे कि छोटी–मोटी लिपिकीय त्रुटियाँ या प्रारूपण संबंधी मुद्दे।]

22. निविदाकर्ता केवल तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों की वित्तीय निविदाएं खोलेगा।

23. यदि कोई फर्म शून्य शुल्क/प्रतिफल उद्धृत करती है, तो निविदा को अनुत्तरदायी माना जाएगा और उस पर विचार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार, यदि समिति/वनमण्डलाधिकारी की राय में, निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत प्रतिफल अतार्किक रूप से या तो बहुत कम या बहुत अधिक है, तो उसे भी अस्वीकार किया जा सकता है।

24. यदि दो या अधिक निविदाकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव एक समान पाये जाते है, तो लॉटरी के माध्यम से निर्णय किया जाएगा।

25. कोई भी सशर्त निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।

26. अंकगणितीय त्रुटियों को निम्नलिखित आधार पर ठीक किया जाएगाः यदि इकाई मूल्य और कुल मूल्य के बीच कोई विसंगति है, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करके प्राप्त की जाती है, तो इकाई मूल्य मान्य होगा और कुल मूल्य को सही किया जाएगा। यदि शब्दों और आंकड़ों के बीच कोई विसंगति है, तो शब्दों में राशि मान्य होगी।

27. निविदाकर्ता किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने और अनुबंध करने से पहले किसी भी समय निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने और सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों के प्रति निविदाकर्ता का कोई दायित्व निर्मित नहीं होगा तथा निविदाकर्ता की कार्यवाही के कारणों के बारे में प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों को सूचित करने का कोई दायित्व नहीं होगा।

(द) अनुबंध का निष्पादनः

28. सबसे कम दर उद्धृत करने वाली फर्म को निविदा दी जाएगी। यदि ऐसा होता है कि विभिन्न सामग्रियों के लिए प्राप्त न्यूनतम दरें अलग–अलग फर्मों से हैं, तो कार्य आदेश उन संबंधित फर्मों को जारी किए जाएंगे, जिनकी उक्त वस्तुओं के लिए क्रमशः सबसे कम दरें हैं।

29. नियोक्ता सफल निविदाकारों को 'स्वीकृति पत्र' (एलओए) (अनुलग्रक 5) जारी करके सूचित करेगा कि उनकी निविदा स्वीकार कर ली गई है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय सफल निविदाकार को शपथपत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

30. अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले, जिस निविदाकार को स्वीकृति पत्र जारी किया गया है, उसे इस निविदा के लिए सुरक्षा जमा के रूप में अनुभाग।। ''महत्वपूर्ण तिथियाँ/सामान्य जानकारी'' पृष्ठ के क्रमांक 6 में निर्दिष्ट राशि जमा करनी होगी। निष्पादन सुरक्षा क्रियाशील शाखा वाले अनुसूचित बैंक (सहकारी बैंकों को छोड़कर) से सावधि जमा रसीद (एफडीआर) या बैक गारंटी के रूप में ''वनमण्डलाधिकारी, सामाजिक वानिकी वृत्त इन्दौर'' के पक्ष में जमा की जा सकेगी। सावधि जमा रसीद (एफडीआर) या बैंक गांरटी की वैधता अनुबंध की संपूर्ण अवधि से 03 माह अधिक अवधि के लिए होगी। यदि धारा 2 के पैरा 1 के अनुसार निविदा प्रस्ताव की वैधता कुछ अवधि के लिए बढ़ाई जाती है, तो नई निष्पादन सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी। हालाँकि, यदि मूल निष्पादन सुरक्षा जमा वैधता की अवधि आवश्यक निर्दिष्ट तिथि के लिए वैध है, तो उसे जारी रखा जा सकता है।

निष्पादन सुरक्षा यह संतुष्ट होने पर वापस कर दी जाएगी कि अनुबंध के तहत निविदाकार के द्वारा दायित्वों का उचित निष्पादन किया गया है। हालाँकि, विभाग द्वारा निष्पादन सुरक्षा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

निष्पादन सुरक्षा राशि की गणना म.प्र भण्डार क्रय नियम और सेवा उपार्जन नियम, 2015 (संशोधित–2022) के अनुरूप की जाएगी।

31. इस अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में या इस अनुबंध के अनुसार लागू किसी भी दंड की वसूली के लिए निविदाकर्ता को सफल निविदाकार को नोटिस दिए बिना, निष्पादन सुरक्षा की राशि को पूरी तरह या आंशिक रूप से लागू करने और विनियोजित करने का अधिकार होगा। संदेह से बचने के लिए, पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत है कि निष्पादन सुरक्षा में शामिल किसी भी राशि के विनियोजन की आवश्यकता वाले किसी भी चूक की स्थिति में, निविदाकर्ता सफल निविदाकार को देय किसी भी बाद के भुगतान से कटौती कर सकता है, जैसे कि वह इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार निष्पादन सुरक्षा को विनियोजित कर रहा हो। निष्पादन सुरक्षा को लागू करने के कारणों में नीचे दी गई शर्तें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नही हैं:–

I. निविदाकार सामग्री देने में सक्षम नहीं है या निविदाकार ने ऐसी सामग्री प्रदाय की है, जो समिति/वनमण्डलाधिकारी की राय से आवश्यक गुणवत्ता मानक को पूरा नहीं करती है और इसलिए निरीक्षण के दौरान उसे अस्वीकार कर दिया गया है।

II. निविदाकार या उसका कर्मचारी निविदाकर्ता के साथ अपने जुड़ाव के दौरान किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल है।

III. यदि निविदाकार लगातार तीन बार, निविदाकर्ता या उनके प्रतिनिधि द्वारा उठाई गई आवश्यकताओं के प्रति गैर उत्तरदायी है।

IV. निविदाकार समय पर बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है।

32. अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर

32.1 सफल निविदाकार को निष्पादन सुरक्षा और अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा, यदि कोई हो, प्रस्तुत करनी होगी और स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। अनुबंध समझौते का प्रारूप अनुलग्रक 7 में दिया गया है।
32.2 अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर को सामग्री की आपूर्ति शुरू होने की सूचना के रूप में माना जाएगा। सामग्री प्रदाय करने के लिए निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को अलग से आपूर्ति आदेश जारी किया जाएगा।
32.3 सफल निविदाकार द्वारा निष्पादन सुरक्षा, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने या अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने में विफल रहने की स्थिति में, निविदाकार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निविदाकर्ता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसकी सत्यांकार की राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जाएगी।
33. निविदाकर्ता, इस अनुबंध और लागू कानून के तहत किसी भी अन्य उपाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, सफल निविदाकार को चूक का कारण बताते हुए 30 दिनों का लिखित नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और जैसा वह उचित समझे, अनुबंध को पूरी तरह या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है और निविदाकार को काली सूची में डाल सकता है।
34. अनुबंध भारत में प्रचलित और लागू कानूनों द्वारा निर्धारित कानूनों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित होगा, ऐसे वाणिज्यिक लेनदेन/प्रसंस्करण के संबंध में समय–समय पर लागू कानून और अधिनियम के ढांचे के भीतर सभी कानूनी विवाद केवल मध्यपद्रेश के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

ई. अन्य नियम और शर्ते

35. निविदाकार द्वारा दर्शित सामग्री का नमूना निविदा जारी होने के 10 दिवस के अंदर क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा प्रदायित सामग्री की NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला की टेस्टिंग रिपोर्ट (हार्ड कॉपी) नमूना के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परीक्षण शुल्क आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। यदि सामग्री की गुणवत्ता घटिया पाई जाती है, तो कोई भुगतान नहीं किया जाएगा, निष्पादन सुरक्षा जब्त की जा सकती है और आपूर्तिकर्ता को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।
36.1 यदि निविदा की वैधता अवधि के भीतर यह पाया जाता है कि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत/अपलोड किए गए दस्तावेजों में से कोई या कुछ झूठे या धोखाधड़ी वाले है, तो निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है। ऐसे मामले में निविदाकार का समझौता रद्द किया जा सकता है, जिसके बाद निविदाकार की सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा जब्त की जा सकती है।
36.2 सामग्री की आपूर्ति के संबंध में, सामग्री को वैध स्त्रोत से उपार्जित किया जाना चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए निविदाकर्ता की ओर से अधिकृत अधिकारी निविदाकार से इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज/प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। यदि निविदकार ऐसा करने में विफल रहता है, तो आपूर्ति की गई सामग्री का हिसाब नहीं दिया जाएगा और इसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
36.3 यदि सामग्री की आपूर्ति निर्धारित समय में शुरू/पूरी नहीं की जाती है, तो निविदाकार का अनुबंध रद्द किया जा सकता है, जिसके बाद निविदाकार की सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी। यदि कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी सामग्री की आपूर्ति अधूरी रहती है, तो निविदाकर्ता को अन्य स्त्रोतों से सामग्री का शेष भाग खरीदने के स्वतंत्रता होगी और इसमें व्यय की गई अतिरिक्त राशि, यदि सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा से कम है, तो उसमें से समायोजित की जाएगी। यदि यह अतिरिक्त राशि सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा से अधिक है, तो सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी।

37. इस निविदा सूचना या जारी किए गए कार्य आदेश में जिस प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया गया है, उनके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार निविदाकर्ता के पास होगा।

38. सफल निविदाकार को अनुलग्रक–5 में स्वीकृति आदेश जारी किए जाने के पश्चात् 7 दिवस के अंदर सामाजिक वानिकी वृत्त इन्दौर (निविदाकर्ता) या उसके अधिकृत अधिकारी के साथ अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा। निष्पादित किया गया अनुबंध पत्र निविदा की संपूर्ण अवधि के लिए प्रभावी होगा। निविदाकर्ता द्वारा निविदा की वैधता की अवधि में आवश्यकतानुसार विभिन्न सामग्रियों की मात्रा का प्रदाय आदेश पृथक से जारी किया जायेगा, जिस पर निविदाकार द्वारा प्रदाय आदेश में वर्णित अवधि के भीतर सामग्री का प्रदाय किया जाना आवश्यक होगा।

39. निविदा में ई.एम.डी. की राशि/सामग्री की अंकित मात्रा अनुमानित (विगत वर्षों की औसत मांग के आधार पर) है, आवश्यकतानुसार सामग्री की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। सामग्री प्रदाय का आदेश समय–समय पर बजट प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार दिया जायेगा। यदि किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं होगी तो उसका प्रदाय आदेश नहीं दिया जायेगा। सामग्री की परिवर्तित मात्रा के प्रदाय हेतु निविदाकार बंधनकारी होगा, जिसके लिये निविदाकार द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली जा सकेगी। निविदाकार इस बिन्दु का विशेष ध्यान रखते हुए ही निविदा में भाग लेवें।

40. प्रत्येक सामग्री के लिए सफल निविदाकार का चयन न्यूनतम दर के आधार पर किया जावेगा। निविदा में सम्मिलित सफल अन्य निविदाकार जिनकी दरें L1+15% की सीमा के अंदर प्रेषित की गई है, ऐसे निविदाकार यदि सामग्री प्रदाय करने के इच्छुक हैं तो L1 दर पर सामग्री प्रदाय करने हेतु कार्यालय में Empanel (सूचीबद्ध) करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। क्रय समिति के विचार उपरांत सूक्ष्म और लघु उद्यम एवं स्टार्टअप को निम्न प्राथमिकता से सामग्री प्रदाय का आदेश दिया जायेगा।

क्र.	विवरण	सामग्री क्रय की मात्रा का प्रतिशत
	माना कि कुल क्रय की राशि रूपये 100/– है	
1	सूक्ष्म और लघु उद्यम एवं स्टार्टअप से कुल क्रय	25
	(अ) अनुसूचित जाति/जनजाति प्रवर्ग के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम एवं स्टार्टअप से क्रय	04
	(ब) महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम एवं स्टार्टअप से क्रय	03
	(स) अन्य सूक्ष्म और लघु उद्यम एवं स्टार्टअप से क्रय	18
	योग–	25
2	एल–1 से क्रय	75
	कुल क्रय	**100**

अनुलग्रक–1

प्रारूपः स्वघोषणा – काली सूचना में दर्ज नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र

रूपये 100 के स्टॉप पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है

दिनांक :   /   /

सेवा में,

वनमण्डलाधिकारी
सामाजिक वानिकी वृत्त इन्दौर, म.प्र.

महोदय / महोदया,

दिनांक...के निविदा संदर्भ संख्या...................... के प्रत्युत्तर में, ...के स्वामी / भागीदार / निदेशक के रूप में, मैं / हम घोषणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी / फर्म...का रिकार्ड बेदाग है तथा उसे किसी भी राज्य / केन्द्र सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अनिश्चित काल के लिए या किसी विशेष अवधि के लिए भ्रष्ट और धोखाधड़ीपूर्ण कार्यों के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

हम आगे घोषणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी / फर्म...

निविदा प्रस्तुत करने की तिथि पर किसी भी राज्य / केन्द्र सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भ्रष्ट और धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार के अलावा अन्य कारणों से काली सूची में नहीं डाली गई है न ही अयोग्य घोषित की गई है।

यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्यवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी / हमारी प्रतिभूति पूर्णतः जब्त कर ली जाएगी तथा निविदा, यदि कोई हो, को स्वीकार की गई सीमा तक रद्द कर दिया जाएगा।

आपका धन्यवाद

निविदाकार का नाम :
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता :
संगठन की मुहर :

दिनांक :
स्थान :

अनुलग्रक–2

प्रारूपः निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म का विवरण

1. निविदाकार/फर्म का नामः ....

2. पिता का नाम : ....

3. स्थायी पता मकान कमांक : ....

गली कमांक ....

स्थान ....

जिला.. पिन कोड...

4. कार्यालय का पता : ....

गली कमांक ....

स्थान ....

जिला.. पिन कोड...

5. सत्यांकार राशि (ई.एम.डी.) का विवरण प्रकार :– एफडीआर/बैंक गांरटी/ ....

संख्या दिनांक ....

राशि ....

बैंक का नाम ....

6. जीएसटी नंबर ....

निविदाकार के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं, ...

पिता / पति...

घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है। यदि उपरोक्त जानकारी में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसके लिए मैं पूरी तरह जिम्मेदार रहूँगा। मैंने निविदा दस्तावेज की सभी शर्तों, नियमों और आवश्यकताओं को पढ़ और समझ लिया गया है और उनका पालन करने की शपथ लेता हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक – **3**

प्रारूपः सामग्री प्रदाय क्षेत्र भ्रमण प्रमाण पत्र

1. मैं/हम...जानता हूँ/जानते हैं कि सामग्री की आपूर्ति का दायरा सामाजिक वानिकी वृत्त इन्दौर का सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र होगा। मैं/हम सामाजिक वानिकी वृत्त इन्दौर के अंदर किसी भी दिए गए स्थान पर आपूर्ति करने के लिए सहमत हैं।

मुझे हमें क्षेत्र, प्रकार, स्तर दूरी आदि के बारे में कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने/हम ने काम/आपूर्ति स्थान का पूरी तरह से निरीक्षण किया है और निविदा के लिए आवेदन करने से पहले कार्य स्थलों के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट हैं और सभी कार्य स्थितियों को समझते हैं।

निविदाकार के हस्ताक्षर

अनुलग्रक– 4

पूर्व–योग्यता मापदंड

निविदाकार के पास होना चाहिए :

i. (किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार संगठन/विभाग/पीएसयू/सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी में) सफलतापूर्वक निष्पादित करने का अनुभवः

क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान तीन समान कार्य जिनके लिए निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है, जिनमें से प्रत्येक की लागत उन वस्तुओं/मदों की संभावित राशि के 20% के बराबर राशि से कम नहीं है जिनके लिए निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है।

या

ख) पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान दो समान कार्य जिनके लिए निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है, जिनमें से प्रत्येक की लागत उन वस्तुओं की संभावित राशि के 30% के बराबर राशि से कम नहीं है जिनके लिए निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है।

या

ग) पिछले 3 वित्तीय वषों के दौरान एक समान कार्य जिसकी कुल लागत उन वस्तुओं की संभावित राशि के 50% के बराबर राशि से कम नहीं है जिनके लिए निविदा दी गई है।

अथवा

घ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किसी एक वित्तीय वर्ष में वन विभाग, म.प्र. में समान मदों का कार्य निष्पादित किया गया हो जो निविदाकार द्वारा दी गई निविदा के मदों की संभावित राशि के 30% के बराबर राशि से कम नहीं होना चाहिए।

ii. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निविदाकार का औसत वार्षिक कारोबार निविदाकार द्वारा दी गई निविदा के मदों की संभावित राशि के दोगुने से कम नहीं होना चाहिए।

संयुक्त उद्यम के मामले में, कम कारोबार वाली फर्म के कारोबार को उपर्युक्त खंड (ii) के तहत मूल्यांकन के लिए माना जाएगा। यदि निविदाकार के गठन/निगमन की तारीख तीन वर्ष से कम पुरानी है, तो गठन की तारीख के बाद पूरे हुए वित्तीय वर्षों के संबंध में औसत कारोबार को इस मापदंड के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

अनुलग्नक 5

स्वीकृति पत्र क्रमांक

क. .... दिनांक

प्रति,

मेसर्स ....

(निविदाकार का नाम और पता)

विषयः

––00––

प्रिय श्री, ...

उपरोक्त कार्य के लिए आपकी बोली मध्य प्रदेश के राज्यपाल की ओर से मात्रा बिल और उसमें दी गई मदवार दरों के बराबर स्वीकार कर ली गई है। सामग्री का विवरण निम्नानुसार है। –

क्र	सामग्री का नाम और विवरण	अनुमानित मात्रा	स्वीकृत दर (रुपये में)
1	2	3	4

आप इस पत्र के जारी होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें:

क. रूपये .... (आंकड़ों में) की निष्पादन सुरक्षा/निष्पादन गारंटी (रुपये.. केवल शब्दो में) निष्पादन सुरक्षा किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की सावधि जमा/बैंक गारंटी की रसीद के रूप में होगी जो वस्तुओं की आपूर्ति के तीन महीने बाद तक वैध होगी .... के नाम पर प्रतिज्ञा।

ख. अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करें।

भवदीय

अनुलग्रक 6
संयक्त उद्यम (ज्वांइट वेंचर)

यदि संयुक्त उद्यम की अनुमति दी जाती है तो निम्नलिखित शर्तों और आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए;

1. साझेदार के रूप में दो या अधिक फर्मों के संयुक्त उद्यम द्वारा प्रस्तुत निविदाएं निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेंगी;

क. भागीदारों में से एक को प्रमुख भागीदार के रूप में नामित किया जाएगा, और इस प्राधिकरण को सभी भागीदारों के कानूनी रूप से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित मुख्तारनामा प्रस्तुत करके प्रमाणित किया जाएगा;

ख. निविदा और, सफल निविदा के मामले में, समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ताकि यह सभी भागीदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो;

ग. प्रभारी भागीदार को संयुक्त उद्यम के किसी भी और सभी भागीदारों के लिए और उनकी ओर से देयताओं को वहन करने और निर्देश प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जाएगा और भुगतान सहित अनुबंध का पूरा निष्पादन विशेष रूप से प्रभारी भागीदार के साथ किया जाएगा;

घ. संयुक्त उद्यम के सभी भागीदार अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंध के निष्पादन के लिए संयुक्त रूप से और अलग–अलग उत्तरदायी होंगे, और इस आशय का एक कथन ऊपर (सी) के तहत उल्लेखित प्राधिकरण में शामिल किया जाएगा, साथ ही निविदा में और अनुबंध में (सफल निविदा के मामले में);

ड. संयुक्त उद्यम समझौते में योजना और निष्पादन के संबंध में संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। अनुबंध की अवधि के दौरान संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की निष्पादन में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। निविदाकर्ता की पूर्व स्वीकृति के बिना इसे बाद में बदला/संशोधित नहीं किया जाना चाहिए;

च. संयुक्त उद्यम समझौते को पंजीकृत किया जाना चाहिए, ताकि यह कानूनी रूप से वैध हो और सभी भागीदारों पर बाध्यकारी हो; और

छ. भागीदारों द्वारा किए गए संयुक्त उद्यम समझौते की एक प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

2. निविदा के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता मानदंडों के साथ निविदाकार निष्पादन को निर्धारित करने के लिए संयुक्त उद्यम के प्रत्येक भागीदार के आंकड़े एक साथ जोड़े जाएंगे। सभी भागीदारों को सामूहिक रूप से निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा। इस आवश्यकता का निष्पादन करने में विफलता के परिणाम स्वरूप संयुक्त उद्यम की निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3. संयुक्त उद्यम की निष्पादन सुरक्षा साझेदार प्रमुख साझेदार/संयुक्त उद्यम के नाम पर होगी।

4. संयुक्त उद्यम की और से निविदा हस्ताक्षरकर्ता(यों) को अधिकृत करने वाले साझेदारों की पावर ऑफ अटॉर्नी संलग्न करें;

5. संयुक्त उद्यम के सभी साझेदारों के बीच हुए समझते को संलग्न करें (और जो सभी साझेदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है), जो निविदाकारों के लिए निर्देशों में दर्शाई गई आवश्यकताओं को दर्शाता है।

6. संयुक्त उद्यम में भागीदारी का विवरण नीचे दिए अनुसार प्रस्तुत करें;

कमांक	भागीदारी विवरण	फर्म ''ए'' (प्रमुख भागीदार)	फर्म ''बी''	फर्म ''सी''

अनुलग्रक 7

अनुबंध प्रपत्र

अनुबंध

यह अनुबंध, दिनांक .... को वनमण्डलाधिकारी, सामाजिक वानिकी वृत्त इन्दौर (म. प्र.) (निविदाकर्ता का नाम और पता) (जिसे आगे "निविदाकर्ता" कहा जाएगा) और मेसर्स .... (निविदाकार का नाम और पता) जिसे आगे "निविदाकार कहा जाएगा, के बीच दूसरे पक्ष के लिए किया गया है।

जबकि निविदाकर्ता चाहता है कि निविदाकार वनमण्डलाधिकारी, सामाजिक वानिकी वृत्त इन्दौर म.प्र. (अनुबंध का नाम और पहचान संख्या) (जिसे आगे "कार्य" कहा जाएगा) द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति निष्पादित करे और निविदाकर्ता ने निविदाकार द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति के लिए बोली को स्वीकार कर लिया है।

अब यह अनुबंध इस प्रकार प्रमाणित होता है –

1. इस अनुबंध में, शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अनुबंध की शर्तों में क्रमशः निर्दिष्ट किया गया है और उन्हें इस अनुबंध के भाग के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा।

2. निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को किए जाने वाले भुगतानों के विचार में, जैसा कि आगे उल्लेख किया गया है, निविदाकार अनुबंध के प्रावधानों के साथ सभी पहलुओं में अनुरूपता में कार्य निष्पादित और पूरा करने के लिए निविदाकर्ता के साथ अनुबंध करता है।

3. निविदाकत्ता अनुबंध के प्रावधानों के तहत अनुबंध मूल्य या ऐसी अन्य राशि जो अनुबंध द्वारा निर्धारित समय और तरीके से देय हो सकती है, के निष्पादन और पूरा होने के विचार में निविदाकार को भुगतान करने के लिए अनुबंध करता है।

4. निम्नलिखित दस्तावेजों को इस अनुबंध के भाग के रूप में तैयार और समझा जाएगा अर्थात

i. स्वीकृति पत्र
ii- निविदाकारों को निर्देश
iii- अनुलग्रक 1 से 3
iV- बिल की मात्रा (BOQ)और
V- निविदा दस्तावेज़ में सूचीबद्ध कोई अन्य दस्तावेज़ जो अनुबंध का हिस्सा है

जिसके साक्ष्य में पक्षकारों ने इस समझौते को लिखित रूप से पहले दिन और वर्ष में निष्पादित किया है।

सामान्य मुहर .... इस पर निम्नलिखित की उपस्थिति में लगाई गई थीः

उक्त .... द्वारा हस्ताक्षारित, मुहरबंद और परिदत्त .... की उपस्थिति में :

वनमण्डलाधिकारी
सामाजिक वानिकी वृत्त इन्दौर (म.प्र.)
निविदाकार के बाध्यकारी हस्ताक्षर